# बिहार सरकार,
# पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
# कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC- 1256

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 28/11/2018

विषय – सारण जिलान्तर्गत NH-101 छपरा–बनियापुर–मलमलिया–मोहम्मदपुर (01.500-15.500 KM & 30.000-34.075 KM) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4525 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि सारण जिलान्तर्गत NH-101 छपरा–बनियापुर–मलमलिया–मोहम्मदपुर (01.500-15.500 KM & 30.000-34.075 KM) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4525 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1991 एवं अधिसूचना संख्या 485 (ई०) दिनांक 15.04.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 5.4525 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं 13278 वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन संरक्षक, सीवान द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

| क्रम सं0 | पातित होने वाले वृक्षों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 0.00-60 CM तक | 60 CM से अधिक |
| 1 | 322 | 12956 |

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.4 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा 5.4525 हे० वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम, 2006 अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 5.4525 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 10.905 हे० अर्थात् 11.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, रोहतास के सासाराम प्रक्षेत्र अन्तर्गत रेडिया PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.4525 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 43,78,358/– (रूपये तैतालीस लाख अठत्तर हजार तीन सौ अनठावन) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.4525 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 11.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि रेडिया सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 26.35 लाख मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1028/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर यथासम्भव 0.00–60 से0मी0 एवं उससे अधिक के पौधों को Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-1256 दिनांक– 28/11/2018

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/18

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।